



एसिड अटैक करने वालों को 20 साल की कैद

सख्त न्याय सुनिश्चित



एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड

बाराचिक। एक जूरी के फैसले से अहिंसापूर्वक रूप से दण्डित करने वाले के अलावा ही अन्य अन्य विकल्प को कोर्ट ने अहिंसापूर्वक रूप से 20-20 साल के सख्त अर्थदण्ड को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णय दे दिया है।

जुलिया की जूरी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी को 20-20 साल के सख्त अर्थदण्ड को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णय दे दिया है।

जुलिया की जूरी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी को 20-20 साल के सख्त अर्थदण्ड को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णय दे दिया है।

एसिड अटैक करने वालों को 20 वर्ष की सजा

कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।



04 कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।



कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

एसिड हमले के दोषियों को 20-20 साल की सजा

अदालत से

कोर्ट ने आरोपी को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी को 20-20 साल की सजा सुनाई है।



CONVICTING THE CRIMINALS



Meticulous Investigation & Prosecution

Dt. 28.05.2024

बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभिचोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 28.05.2024 को माननीय न्यायालय ए(एस0जे0-0) बहराइच द्वारा नाबालिग छात्रा के ऊपर एसिड अटैक के अभियुक्तगण को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0आ0स0 422/2020 थारा- 326A IPC व 120B के आरोप में अभियुक्तगण एहतशाम उर्फ सहाम व सुहेल उर्फ पीके बाबा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी।



डी.एस.ए. सुनील कुमार सिंह, सहायक अधीक्षक



राजेश कुमार मिश्रा, सहायक अधीक्षक



सुनील कुमार मिश्रा, सहायक अधीक्षक

सुनील कुमार मिश्रा, सहायक अधीक्षक